



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1943 (श0)  
(सं0 पटना 245) पटना, वृहस्पतिवार 1 अप्रील 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

31 मार्च 2021

सं० 02/कर/शुल्क-03/2021/परि०/2427-केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-81 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम-81 के सारणी की क्रम संख्या-11 के कॉलम-3 में अंकित टिप्पण के आलोक में परिवहन वाहनों हेतु फिटनेस प्रमाण-पत्र के वैधता की समाप्ति के पश्चात् लगने वाले 50 रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त फीस को इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से 30.09.2021 तक के लिए बिहार राज्य में घटाकर निम्न सारणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	संशोधित अवधारित फीस
1	दो पहिया एवं तिपहिया परिवहन वाहन	10 रु० प्रति दिन
2	व्यावसायिक ट्रैक्टर	15 रु० प्रति दिन
3	छोटे चार पहिया परिवहन वाहन	20 रु० प्रति दिन
4	भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन/अन्य वाहन	30 रु० प्रति दिन

- उपर्युक्त का लाभ दिनांक-30.09.2021 तक फिटनेस प्रमादी वाहनों को देय होगा।
- यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगा एवं दिनांक-30.09.2021 तक प्रभावी रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

**Dated 31<sup>st</sup> March 2021**

**No. -02 / Tax / Fee-03/2021, Pari.- 2427**—In exercise of the powers conferred by the proviso of Rule-81 of Central Motor Vehicle Rule, 1989 additional fee of 50 rupees payable per day after the expiry of the Fitness Certificate of transport vehicles, in light of the note specified in column-3 of serial no.11 of the table of rule-81 of the said regulation, is hereby reduced according to the table given below up to the date 30.09.2021 from the date of the enforcement of this notification.

Sl.No.	Type of Vehicles	Revised Payable Fee
1.	Two Wheeler and Three Wheeler Transport Vehicle	Rupees 10 Per day
2.	Commercial Tractor	Rupees 15 Per day
3.	Small Four Wheeler Transport Vehicle	Rupees 20 Per day
4.	Heavy Commercial Transport Vehicle/Other Vehicles	Rupees 30 Per day

2. Benifit of the above could be availed only by the vehicles which are defaulter of the fitness up to the date-30.09.2021
3. This notification will come into effect after 5 working days from the date of its publication in Bihar Gazette and will remain effective till date-30.09.2021.

By order of the Governor of Bihar.  
Sanjay Kumar Agarwal,  
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 245-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>